

5

The Terminated Employees (Welfare) Bill, 2022

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियोक्ताओं द्वारा पदच्युत किए जा चुके कर्मचारियों के लिए कल्याण उपाय करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

?कि नियोक्ताओं द्वारा पदच्युत किए जा चुके कर्मचारियों के लिए कल्याण उपाय करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिलेश्वर कामैत: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 88, डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस।

13.51 hrs